

दिल्ली दुग्ध योजना

भारत सरकार

अभिरुची की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध सूचना

अभिरुची की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध (आर.ई.ओ.एल) नोटिस सं० ए-12001/01/2023-24/अधि/दि.दु.यो., दूरभाष सं० 011-20838134/20838233)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, महाप्रबंधक, दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008, राज्य डेयरी संघों और उनके दुग्ध संघों/ पंजीकृत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/पंजीकृत फर्म/निजी लिमिटेड कंपनियों जो कि दूध का कारोबार करती हों (खरीद और दूध के प्रसंस्करण) और एफ.एस.एस.ए.आई. प्रमाण-पत्र हो, दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लिए अथवा दिल्ली दुग्ध योजना के परिचालन एवं प्रबंधन को किसी अन्य बाहरी एजेंसी को सौंपने तक या पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना का परिचालन बंद करने तक, जो भी पहले हो दि.दु.यो. की समय-समय पर यथा लागू दुग्ध अधिप्राप्ति मूल्य निति के अनुरूप दरों और प्रोत्साहन पर, कच्चा पाश्चुरीकृत (गाय/मिश्रित) दूध की अपूर्ति हेतु अनुबंध समझौते को अंतिम रूप देने के लिए, पार्टियों के चयन हेतु अभिरुची की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध आमंत्रित करता है। उपरोक्त के अलावा वे कंसन्ट्रेटेड स्कीमड दुग्ध की आपूर्ति की पेशकश भी कर सकते हैं। राज्य दुग्ध संघों और उनके दुग्ध संघ को सरकारी संस्थान होने के नाते प्राथमिकता दी जाएगी। विस्तृत नियमों एवं शर्तों युक्त अभिरुची की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध फार्म दिनांक 06.2.2023 से 27.02.2023 सायं 2.30 बजे तक Central Public Procurement - Portal web-site i.e. <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड की जा सकती है। राज्य डेयरी समितियों/ दूध संघों एवं अन्य एजेंसियों को ई.एम.डी जमा करने से छूट दी जाती है, परन्तु राज्य डेयरी संघों/दुग्ध संघों के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को "निविदा सुरक्षा घोषणा पत्र" जमा कराना होगा। विधिवत रूप से भरा हुआ अभिरुची अनुरोध फार्म दिनांक 27.02.2023 को 2:30 बजे सायं तक स्वीकार्य किए जाएंगे तथा अगले दिन दिनांक 28.02.2023 को सायं 2:30 बजे खोले जायेंगे। कृपया वेबसाइट <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> अथवा DAHD वेबसाइट i.e. www.dahd.nic.in पर देखें।

महाप्रबंधक

दिल्ली दुग्ध योजना